न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

पंचायत निगरानी संख्या : 29/2018

साधुराम मेहरा पुत्र स्व0 श्री मूलचंद मेहरा, निवासी—अणी की चौकी, पंचायत लबाना, अचरोल, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।

निगरानीकर्ता,

बनाम

ग्राम पंचायत लबाना, जरिये सरपंच पंचायत समिति आमेर, तहसील—आमेर, जिला जयपुर।

गैर—निगरानीकर्ता,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 विरूद्ध विशेष बैठक दिनांक 27.03.2015 ग्राम पंचायत लबाना, पंचायत समिति आमेर, जिला—जयपुर के सरपंच द्वारा पारित प्रस्ताव सं0 1 व 2)

उपस्थितः—

1. श्री के.आर. शर्मा, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. गैर—निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नही।

निर्णय **दिनांक : 29.10.2021**

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लबाना, पंचायत समिति आमेर द्वारा दिनांक 27.03.2015 को आयोजित विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव सं0 1 व 2 को निरस्त करने के संबंध में पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। निगरानी पेश होने पर गैर—निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर—निगरानीकर्ता सरपंच, ग्राम पंचायत लबाना को जरिये पंजीकृत डॉक नोटिस प्रेषित किये गये थे, जो एक माह का समय व्यतीत होने के बाद भी लौटकर प्राप्त नही होने पर गैर—निगरानीकर्ता, सरपंच ग्राम पंचायत लबाना की तामील मानते हुए उनके उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। ग्राम पंचायत से मूल रिकार्ड प्राप्त किया गया, जो शामिल मिसल है।

हमनें विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम अचरोल, अणी की चौकी, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर स्थित आबादी/सिवायचक भूमि पर निगरानीकर्ता के पूर्वजों के समय से वह लगभग 150 वर्षो से भी अधिक समय से कच्चे मकानात बनाकर काबिज है। प्लाट के चारों तरफ लगभग 9 फीट ऊंची कम्पाउण्ड वॉल बना रखी है। वादग्रस्त भूमि का कुल क्षेत्रफल 648 वर्गगज है। जिसको निगरानीकर्ता ने अपने संयुक्त परिवार की सम्पति में से अपने ताऊजी भैरूराम के हिस्से को जरिये अनुबंध दिनांक 16.04.1996 को क्रय किया था। वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है, जिसका पट्टा ग्राम

पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। निगरानीकर्ता ने वादग्रस्त भूमि को दो भू–खण्डों में बाँटकर एक भू–खण्ड का अपने नाम से पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 19.01.1996 एवं 06.09.2004 को तथा दूसरे भू–खण्ड का पट्टा अपनी पत्नी श्रीमती कल्ली देवी के नाम से प्राप्त करने हेतु दिनांक 04.09.1995 एवं 06.09.2004 को रसीद कटाकर निर्धारित शुल्क जमा कराया गया तथा ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवदेन किया गया, परन्तु गैर–निगरानीकर्ता द्वारा बदनियतिवश पट्टा जारी नही किया गया। निगरानीकर्ता ने माननीय न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) क्रम–1, जयपुर जिला जयपुर में एक दिवानी वाद सं0 16/2013 साधुराम बनाम ग्राम पंचायत पेश किया था। जिसमें पारित निर्णय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री कर ग्राम पंचायत को वादग्रस्त भू–खण्ड हेतु पट्टे के लिए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को दो माह की समयावधि में निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

गैर–निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 27.03.2015 को ग्राम पंचायत लबाना के सरपंच की अध्यक्षता में व अन्य सदस्यों की उपस्थिति में एक विशेष बैठक आयोजित कर निगरानीकर्ता के पक्ष में सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर निगरानीकर्ता को पट्टा जारी नही करने का हकदार माना गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विशेष बैठक दिनांक 27.03.2015 विधि–विरूद्ध रूप से आयोजित की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा विशेष बैठक बुलानें से पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्यों को बैठक में बुलानें का उद्धेश्य से एवं तारीख उल्लेखित कर बुलाया जाता है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस बाबत् कोई उल्लेख नही किया गया। आबादी भूमि के संबंध में निर्णय करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा तीन सदस्यों की कमेटी निर्धारित कर मौके पर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जा कर निर्णय किया जाता है, परन्तु उक्त विशेष बैठक में ऐसा कोई उल्लेख नही किया गया है। विशेष बैठक में उपस्थित ग्राम पंचायत सदस्यों की सहमति/विरोध आदि का भी अंकन नही किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस प्रकार गैर–निगरानीकर्ता द्वारा विधि–विरूद्ध रूप से दिनांक 27.03.2015 को प्रस्ताव सं0 1 व 2 पारित किये गये है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी को स्वीकार किया जा कर ग्राम पंचायत लबाना की विशेष बैठक दिनांक 27.03.2015 में पारित उक्त दोनों प्रस्तावों को खारिज किया जावें।

गैर–निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नही। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निगरानीकर्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उसके पूर्वजों के समय से उसका कब्जा है। जिसका पट्टा प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा आवेदन किया गया था। माननीय न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) क्रम–1, जयपुर जिला जयपुर में एक दिवानी वाद सं0 16/2013 साधुराम बनाम ग्राम पंचायत में दिये गये निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक दिनांक 27.03.2015 को आयोजित की गई थी। प्रस्ताव में अंकित तथ्यों के अनुसार वादग्रस्त भूमि को ग्रामवासियों द्वारा शिवजी की भूमि मानने का अंकन किया है तथा उक्त भूमि पर तेजा जी का मैला भी भरना बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव सं0 1 में वादग्रस्त भूमि के संबंध में निगरानीकर्ता की ओर से दिये गये समस्त आवेदन निरस्त किये गये है। ग्रामवासियो द्वारा वादग्रस्त भूमि को मंदिर की भूमि मानने का भी अंकन ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में अंकित है। जबकि निगरानीकर्ता की ओर से यह

कथन है कि उसका लगभग 150 वर्षो से अधिक उसके पूर्वजों के समय से कब्जा है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संबंध में विधि–अनुरूप प्रक्रिया बिना अपनाये ही केवल मात्र विशेष बैठक आयोजित कर आवेदन अस्वीकार किये गये है। जबकि गैर–निगरानीकर्ता द्वारा आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार पंचों की कमेटी गठित कर निरीक्षण उपरान्त निगरानीकर्ता को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत लबाना द्वारा केवल मात्र एक विशेष बैठक आयोजित कर बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विशेष बैठक दिनांक 27.03.2015 में पारित प्रस्ताव सं0 1 निरस्त किया जाता है एवं गैर–निगरानीकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत लबाना को प्रकरण पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक/निगरानीकर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पट्टा जारी करने के संबंध में जारी नियमों के अन्तर्गत पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः निर्णय पारित करें। ग्राम पंचायत लबाना का मूल रिकार्ड पुनः ग्राम पंचायत को लौटाया जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.10.2021 सुनाया गया।

29-10-21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर